न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

नि0 प्रकरण क्रमांक निगरानी–3686/2018/छतरपुर/भू.रा. सन् 2018

भुमानीदीन तनय गनपत बाजपेयी

निवासी लखरावन तहसील राजनगर

जिला छतरपुर (म0प्र0) ——————————निगरानीकर्ता

बनाम

1 रामविशाल तनय श्री दशरथ प्रसाद **पाठक**

2. जय कृष्ण तनय स्व0 श्री राजाराम **पाठक**

3. कृष्णकान्त तनय स्व0 श्री राजाराम **पाठक**

4. गीता पुत्री स्व0 श्री राजाराम पाठक

5. मुस. शान्ती वेवा स्व0 श्री राजाराम **पाठक**

निवासीगण पुरानी बस्ती खजुराहो तहसील राजनगर

जिला छतरपुर (म0प्र0) ————————गैरनिगरानीकर्तागण

श्री .... द्वारा आज दि0 7.6.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 25.6.18 नियत।

7.6.18

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–रा0 संहिता 1959 के तहत प्रकरण क्रमांक 0001/अ–27/2017–18 आदेश दिनांक 06.04.2018 न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय राजनगर प्रभारी क्षेत्र बसारी से परिवेदित होकर ।

07/6/18

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्न लिखित निगरानी श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत करते है –

निगरानी के तथ्य

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा लखरावन की **भूमि** खसरा नं0 488, 508, 510, 511, 512, 513, 516 किता 07 कुल रकवा 2.259 हे0 भूमि **के** संबंध में बटवारा हेतु आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय क्षेत्र बसारी तहसीलदार राजनगर के यहां गैर निगरानीकर्तागणों द्वारा बटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत **किया** गया जिसमें मुझ निगरानीकर्ता को तलब किया गया तलवी उपरान्त मेरे द्वारा जबाब **प्रस्तुत** किया गया कि उक्त भूमि का विवाद उभय पक्षों के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण जब तक विचाराधीन है तब तक प्रकरण की सुनवाई स्थिगित की जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने

क्रमशः//2//

(2)

R-3686/2018/छतरपुर/भू.रा.

2.7.18 आवेदक अधि. श्री के.के. द्विवेदी को ग्राह्यता पर सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निगरानी आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया।

आवेदक के द्वारा यह बतलाया गया कि बटवारे के सम्बन्ध में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन माननीय न्यायालय का कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः निगरानी अग्राह्य की जाती है। ~~[illegible]~~ यदि आगे माननीय न्यायालय का आदेश अन्यथा आता है, तो तदनुसार तहसीलदार आदेश का पालन करने हेतु बाध्य है।

रीडर

2.7.18
सदस्य